न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
71/2022	06.12.2022	25/2/2026

1. हरिसिंह पुत्र कल्याण, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
2. ऋषिराज पुत्र मानसिंह, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
3. जयश्री पुत्री मानसिंह, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
4. जसोदा पत्नी मानसिंह, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
5. निरमा पुत्री मानसिंह, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
6. विष्णु पुत्र मानसिंह, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
7. उगन्ती पत्नी स्व0 मनोहरी, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
8. मेघराज पुत्र मनोहरी, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
9. मुंनीराज पुत्र मनोहरी, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
10. हुक्मराज पुत्र मनोहरी, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
11. सुनील पुत्र मनोहरी, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कमोद पुत्र हरल्या, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
2. मनसुख पुत्र हरल्या, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
3. रामेश्वर पुत्र हरल्या, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
4. गजानंद पुत्र स्व0 राधेश्याम, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
5. गणेश पुत्र स्व0 राधेश्याम, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
6. कन्या पत्नी स्व0 राधेश्याम, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
7. हरकेश पुत्र स्व0 राधेश्याम, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
8. इन्द्राज पुत्र स्व0 रामरूप, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
9. अजय पुत्र स्व0 रामरूप, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
10. धनबाई पत्नी स्व0 रामरूप, माली निवासी कांकर रेती तह0 गंगापुर सिटी
11. लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् दिलवाए जाने रास्ता
तहत धारा 251(ए) राज0 का0 एक्ट

उपस्थित :— श्री गजेन्द्र कुमार सैनी, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री अवधेश त्रिवेदी एड0 अप्रार्थी नं0 1 ता 10 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण हरिसिंह वगैरा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया

खण्ड अधिकारी
ापुर सिटी (राज०)

है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 720 रकबा 1.22 है0, ख0न0 721 रकबा 0.17 है0 ग्राम बिदरख्या मे स्थित है। यह भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही है। प्रार्थीगण की भूमि के लगवां ही अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 714, 716 स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु कोई रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 720, 721 मे मुख्य सडक बाढ से बिदरख्या वाली सडक से भूमि ख0न0 714, 716 मे बने 15 फिट चौडे रास्ते मे होकर आवागमन करते है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वादग्रस्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शाया है। रास्ते की यह भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होने के कारण उन्हे अतिक्रमण कर रास्ता बंद करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई बार कहा कि उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवा लो एवं रास्ते के एवज मे जितनी भूमि रास्ते मे जाती है उसके एवज मे डीएलसी दर से जो भी राशि बनती है वह प्रार्थीगण देने को तैयार है परन्तु अप्रार्थीगण टालमटोल करते आ रहे है एवं अपनी इच्छा अनुसार उक्त रास्ते मे अवरोध कर देते है। दिनांक 15.10.2022 को प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित नक्शे मे दर्शित पीले रंग की भूमि मे होकर आवागमन कर रहे थे तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच की एवं कहने लगे की तुम इधर से नही निकलोगे। इस रास्ते को हम तारबंदी कर बंद कर देगें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 720, 721 मे मुख्य सडक बाढकलॉ से बिदरख्यॉ को जा रही है उस पर स्थित भूमि ख0न0 714 रकबा 0.29 है0 व ख0न0 716 रकबा 0.43 है0 मे होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शित 15 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के खेतो तक निकला जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 720, 721 की [illegible] मे जयश्री पुत्री मानसिंह, निरमा पुत्री मानसिंह नाबालिग [illegible] मे उनकी ओर से किसी को वादमित्र नही बनाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। मौके पर ख0न0 720, 721 के अलग अलग टुकडे हो रहे है। ख0न0 720 मे हरिसिंह पुत्र कल्याण तथा उनके भाई स्व0 मानसिंह ने रिहायशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मकान बना रखे है। धारा 251 ए कृषि भूमि के रास्ते के लिए लागू होती है। रिहायशी मकानों के रास्ते के लिए लागू नही होती है। ख0न0 720 व 721 मे जाने का रास्ता रिकॉर्डेड ख0न0 742 गैर मुमकिन रास्ता तथा उसके बाद ख0न0 699 गैर मुमकिन कूप की भगवान मे होकर ख0न0 700 व 722 की डौल मे होकर ख0न0 721 मे जाने का रास्ता रहा है। प्रार्थीगण ने जो रास्ता पीले रंग से दर्शाया है वह मौके पर मौजूद नही है। ख0न0 720, 721 मे जाने का जो रास्ता उपलब्ध है उसमे होकर प्रार्थीगण शुरू से ही आते जाते रहे है। पीले रंग से दर्शित कोई रास्ता कभी से नही रहा है। जब प्रार्थीगण को अपने खेतो मे जाने के लिए पूर्व से ही रास्ता मौजूद है तो उन्हे यह अधिकार नही है कि वे अब अप्रार्थीगण के ख0न0 714, 716 मे होकर रास्ते की मांग करे। प्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र को पढने से स्पष्ट है कि यह प्रकरण धारा 251 ए का नाम होकर सिविल न्यायालय का है क्योकि घरों पर जाने के लिए रास्ते का प्रावधान धारा 251 ए आर टी एक्ट मे नही है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 89, 234 ग्राम बिदरख्या, नजरी नक्शा, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये हैं।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/24/3675 दिनांक 21.8.2024 के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बाढकलॉं, पटवारी हल्का बाढकलॉं की रिपोर्ट मूल ही भिजवाए है।

प्रस्तुत मामले मे अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 6.12.2024 को आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि गिरदावर एवं पटवारीने प्रार्थीगण से साज कर मौके के विपरित रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट मे बिन्दू संख्या 2 मे हवाला दिया गया है कि पूर्व से खातेदारों द्वारा ख0न0 746 व 749 मे होकर पगडंडी का उपयोग [illegible] आ रहे है। अब रिपोर्ट मे खातेदारी भूमि ख0न0 716 मे [illegible] का रास्ता गलत रूप से बता कर इसमे रास्ता दिया [illegible] पटवारी ने प्रस्तावित किया है। जिस स्थान पर ख0न0 716 मे रास्ता [illegible] जाना प्रस्तावित किया है उस स्थान पर देवता का मंदिर व चबूतरा बना हुआ है फिर भी गिरदावर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

पटवारी ने मौके पर ना जाकर कार्यालय मे ही यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर भी नही है। रिपोर्ट मे मद संख्या 9 मे किसी वैकल्पिक रास्ते का नही होने का हवाला दिया गया है जबकि इसी रिपोर्ट के मद नम्बर 2 मे यह स्पष्ट लिखा है कि खातेदारों द्वारा ख0न0 746 व 749 मे होकर पगडंडी का उपयोग करते आ रहे है। इस प्रकार वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसी प्रकार मद नम्बर 7 मे अंकन है कि पूर्व का रास्ता वर्तमान मे काम नही आ रहा है क्योकि दूसरे खातेदार अपनी खातेदारी की भूमि के मध्य से होकर नही गुजरने देते है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता रहा है एवं वे उसका उपयोग नही कर रहे है। अतः आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि पत्रावली पर उपलब्ध विरोधाभासी व कानून सम्मत नही होने के कारण निरस्त फरमायी जावे एवं तहसीलदार साहब को निर्देशित किया जावे कि वे स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति मे मौका देखकर पुनः रिपोर्ट तैयार कर भिजवावें।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया हैं।

अप्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने जबाब एवं आपत्ति के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने उनकी खातेदारी भूमि ख0न0 720, 721 पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के ख0न0 714, 716 मे होकर रास्ता चाहा है। इस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गंगापुर सिटी से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमे बिन्दू संख्या 1 मे यह अंकित किया है कि सबसे कम दूरी का रास्ता ख0न0 716 मे होकर पडता है, भूमि कृषि कार्य मे कार्य आ रही है। इस रिपोर्ट मे यह भी अंकित है कि पूर्व मे खातेदारो/प्रार्थीगण द्वारा ख0न0 746 व 749 मे होकर पगडंडी का उपयोग किया जा रहा है। जो वर्तमान मे काम नही आ रहा है क्योकि दूसरे खातेदार अपनी खातेदारी के मध्य मे होकर नही गुजरने देते है। इस रिपोर्ट के पृष्ट भाग पर प्रस्तावित रास्ते के लिए व पूर्व के वैकल्पिक रास्ता को नजरी नक्शे मे अंकन किया है। इस रिपोर्ट के एवं अप्रार्थीगण के आपत्ति प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 720, 721 पर आने जाने के लिए निकटतम रास्ता ख0न0 716 मे होकर है जिसे सम्बधित गिरदावर व पटवारी द्वारा रिपोर्ट के पृष्ठ भाग अंकित नजरी नक्शे

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:57 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

हरे रंग से दर्शाया गया है। इसी नजरी नक्शे मे ख0न0 749, 746 का पूर्व । जो वैकल्पिक रास्ता दर्शाया गया है वह ख0न0 746, 749 के मध्य मे ोकर दर्शा रखा है जो ख0नन0 716 मे दर्शाये गये प्रस्तावित रास्ते से अधिक दूरी का है एवं पूर्व के वैकल्पिक रास्ते से ख0न0 749, 746 के खेतों यह रास्ता दो हिस्सो मे विभक्त कर देता है अर्थात पूर्व का वैकल्पिक रास्ता इन खेतो के मध्य मे है। जिसके सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य नही है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति तथ्यों के विपरित होने के कारण अस्वीकार की जाती है एवं प्रस्तुत मामले मे तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का बाढकलॉ के अनुसार ख0न0 716 मे होकर प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 720, 721 ग्राम बिदरख्या में पहुंचने के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बाढकलॉ एवं पटवारी हलका बिदरख्या द्वारा नजरी नक्शा में हरे रंग से दर्शित ग्राम बिदरख्या की भूमि ख0नं0 716 में चौडाई 4 मीटर x लम्बाई 120 फिट कुल 480 वर्गमीटर नवीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बाढकलॉ एवं पटवारी हलका बाढकलॉ द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा ट्रेस निर्णय का हिस्सा रहेगा। इसके अनुसार रास्ता में आने वाली भूमि सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी से कम की जाकर गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं नक्शा ट्रेस में नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे।

भूमि ख0नं0 716 की किस्म बारानी 2 है। जिसकी डीएलसी दर 620000/– प्रति है0 (असिंचित [illegible]) के अनुसार रास्ते मे दर्ज की जाने वाली भूमि 480 वर्गमीटर की [illegible]60/– बनती है। जिसके लिए भूमि ख0न0 716 ग्राम बिदरख्या [illegible] 2073–76 खाता संख्या 234 मे दर्ज खातेदारान [illegible] राशि रू0 29760/– का दो गुना 59520/–मुआवजा राशि के रूप [illegible] दिए जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:57 IST
Reason: Self Attested

चूंकि अप्रार्थीगण ने अपने बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नहीं कराए है। अतः उपरोक्तानुसार मुआवजा राशि के बैंकर चैक प्रार्थी उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

सम्बन्धित खातेदारों के नाम बनवाकर भुगतान हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को मय नजरी नक्शा भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/2/2026 को सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested